शासन प्रति अविनाश दिवाकर **आ.प्र.क्र.– 2732/2022**

Witness No. -----01------ For ---अभियोजन साक्ष्य ----Deposition taken the ---25–09–2025---day of Witness's apparentage—35--years

States on affirmation ..... my name is ----श्री गुजेन्द्र सिंह ---- son/wife of -----श्री मोहन सिंह ------occupation ----- व्यवसायी

address ---ग्राम बोधापारा, थाना लालपुर, जिला- मुंगेली (छ.ग.)----

---

टीप–: उपरोक्त साक्षी का नाम एवं अन्य विवरण मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं पूछकर लिखवाया गया है ।

<u>साक्षी का 01.35 बजे शपथ दिलाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया ।</u>

01– मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी को जानता हूँ । घटना आज से तीन वर्ष पूर्व् की है। मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर घर में सो गया था । रात्रि के 11–11.30 बजे लगभग आवाज आयी तब आरोपी हमारे घर के अंदर घूसकर मेरी पत्नि जो सोयी हुई थी कि गले से तीन फर का लॉकेट को लेकर भाग रहा था । मैं जग गया तब मैं उसको पकड़ा । भागते–भागते मैंने बनियान एवं जिंस वाला सर्ट नीले कलर एवं दो नग मोबाईल गिरने से मिला, मोबाईल देखने पर उसमें अविनाश दिवाकर लिखा था ।

02– तब मैने घटना की लिखित रिपोर्ट थाने में दिया था, जो प्र०पी० 01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा लिखायी गयी प्रथम सूचना पत्र प्र०पी० 02 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिस वाले घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किये थे, जो प्र०पी० 03 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिस वालो ने मेरे से आरोपी का दो नग मोबाईल एक टच पैड एवं की पैड, एक बनियान, जिंस शर्ट नीले कलर का जप्त किये थे, जप्ती पत्रक प्र०पी० 04 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR SHARMA

// प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जी०पी० बर्मन अधिवक्ता वास्ते आरोपी //

03– यह कहना गलत है कि अविनाश दिवाकर मेरे रिश्तेदार था । यह कहना गलत है कि अविनाश दिवाकर मेरे भाई का साला या जीजा लगता है । यह कहना गलत है कि अविनाश दिवकार मेरी पत्नि यशोदा का रिश्ते में समधी लगता है । यह कहना गलत है कि अविनाश दिवाकर मेरे रिश्तेदार होने के कारण मेरे घर मेहमानी में आया हुआ था । यह कहना गलत है कि आरोपी अविनाश दिवाकर मेहमानी घर आया हुआ था और मेरे घर ठहरा हुआ था । यह कहना गलत है कि जाते समय वह अपना मोबाईल लेना भूल गया था ।

04– यह कहना गलत है कि मैने अपने पत्नि यशोदा और आरोपी अविनाश दिवाकर का प्रेम संबंध होने का शक के आधार पर झूठा रिपोर्ट लिखाया हूँ । यह कहना गलत है कि चोरी होने के संबंध में घर के आसपास के लोगो को मैं नही बताया था । यह कहना गलत है कि मैं चोर–चोर कहते हुये आवाज नहीं लगाया था । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा चोर–चोर चिल्लाने के पश्चात् भी आसपास के कोई लोग नहीं आये थे । यह कहना सही है कि आरोपी अविनाश को मेरे एवं मेरी पत्नि के अलावा किसी ने नहीं देखा है और ना ही सुना है।

05– यह कहना गलत है कि मैने चोरी होने के संबंध में किसी को नहीं बताया था । यह कहना सही है कि मेरे लिखित शिकायत में गांव के अन्य लोगो के उपस्थित होने के संबंध में नही बताया है । यह कहना सही है कि मैने अपने लिखित शिकायत में एवं प्रथम सूचना पत्र में चोर को पीछे दरवाजे से दाखिल होने के संबंध में नही लिखाया है । यह कहना सही है कि मेरे घर में कोई खिडकी नहीं है, केवल दो दरवाजे है । यह कहना सही है कि मैंने अपने घर के दोनो दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा था यदि बाहर से खोलने का प्रयास किया जाये तो नहीं खुल सकता ।

06– यह कहना सही है कि मैने अपने लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना पत्र में मेरे घर में दो दरवाजा है और एक दरवाजे का सिटकिनी बाहर से खुल जाता है जो संकर्ण वाला है । यह कहना सही है कि मैने अपने लिखित शिकायत में दरवाजा बाहर से खुलने वाली बात नहीं लिखाया है । यह कहना सही है कि मेरे घर का दरवाजा बाहर से अंदर से बंद करने पर यदि बाहर से खोलने का प्रयास किया जाये तो खुल जायेगा ऐसा मैने अपने लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना पत्र में नहीं लिखाया था ।

07– यह कहना गलत है कि जब तक अंदर बंद दरवाजे के सिटकिनी को खोला नहीं जायेगा तब तक नहीं खुल सकता । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मौके पर जांच करने नहीं गया था । यह कहना सही है कि मेरे घर से लगा हुआ मेरे भाई विमल सोनवानी का घर और सनम का घर और मोहन का खेत लगा हुआ है । यह कहना सही है कि यदि मैं अपने घर से आवाज लगाऊ तो मेरे घर से लगा हुआ विमल और सनम को सुनाई दे सकती है ।

08– यह कहना सही है कि तीन नग लॉकेट को पुलिस ने जप्त किया था । यह कहना गलत है कि इसके अलावा और किसी भी वस्तु की जप्ती नहीं हुई थी । यह कहना सही है कि मैं जप्त मोबाईल का क्या–क्या नंबर था नहीं बता सकता । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अपने उपयोगी जिंस शर्ट को जप्त नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि यदि चोर चोरी करने आये तो अपना आधार कार्ड और मोबाईल छोड कर नहीं जायेगा ।

09– यह कहना सही है कि चोर के द्वारा मेरी पत्नि के गले से पहने माला को ब्लेड से काटकर ले जाने वाली बात मैंने अपने लिखित शिकायत एवं प्रथम सूचना पत्र में नही बताया था । यह कहना सही है कि अपने प्रथम सूचना पत्र और लिखित शिकायत में माला को तोडने वाली बात नहीं बतायी थी यदि मेरे पुलिस बयान में लिखा हो तो वह गलत है । यह कहना सही है कि मेरी

पत्नि के गले में कोई चोंट का निशान नहीं था ।

10– यह कहना गलत है कि आरोपी अविनाश दिवाकर का मेरी पत्नि के साथ प्रेम संबंध होने के कारण आरोपी को झूठा फंसाया हूँ ।

परीक्षण समाप्त समय 02.05 बजे ।

वाचित सत्य स्वीकृत **मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।**

(दीपक कुमार शर्मा) **(दीपक कुमार शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली **(ह० गवाह)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली,
जिला–मुंगेली (छ.ग.) जिला–मुंगेली (छ.ग.)